न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी—श्री नेमा राम आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या:— 20/2024
जीसीएमएस संख्या:— 2024/135

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1. ओमप्रकाश पुत्र हरलाल जाति विश्नोई निवासी तिलवासनी तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर		1. रामरख दत्तक पुत्र धन्नाराम जाति विश्नोई तिलवासनी तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर 2. प्रबन्धक यूको बैंक शाखा भावी तहसील बिलाडा 3. भूमिधारी जरिये तहसीलदार पीपाड़ शहर

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ''क'' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

उपस्थित अधिवक्ता

दर्ज दिनांक :—01/02/202

1. ओमप्रकाश कच्छावाह प्रार्थी की ओर से।
2. अब्दुल सलीम खान अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 17/04/2026

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया है जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ग्राम तिलवासनी का स्थायी मूल निवासी है। ग्राम तिलवासनी की राजस्व सीमा में प्रार्थी व अन्य की सह खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 342 क्षेत्रफल 0.7200 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम भूमि आई हुई है। जिस पर आने जाने हेतु राजस्व रेकर्ड में कट्टाणी रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी के खैत में आने जाने हेतु सार्वजनिक कट्टाणी रास्ता खसरा नंबर 324 से होकर खसरा नंबर 343 की उत्तरी सीमा में से होकर रास्ता घोषित किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया। उक्त रास्ता वादग्रस्त रास्ता है। वादग्रस्त रास्ता को संलग्न नजरी नक्शा से लाल स्याही के मध्य मार्क अ से ब दृशाया गया है। वादग्रस्त रास्ता की चौड़ाई 20 फीट रखी जाने का निवेदन किया गया। संलग्न नजरीये नक्शे को प्रार्थना पत्र का अभिन्न अंग माना जावें। प्रार्थी के खैत खसरा नम्बर 342 पर आवागमन हेतु राजस्व रेकर्ड मे रास्ता विद्यमान नहीं है। सार्वजनिक कट्टाणी रास्ता की भूमि खसरा नंबर 324 से होकर अप्रार्थी संख्या एक के खेत खसरा नंबर 343 की उत्तरी सीमा में से होकर प्रार्थी के खैत खसरा नम्बर 342 पर आवागमन का सबसे नजदीकी व सुलभतम रास्ता रहेगा इसलिए न्यायहित में वादगस्त रास्ता मार्क अ से ब को राजस्व रेकर्ड में रास्ता घोषित किया जावे। प्रार्थी के खैत में आवागमन हेतु अन्य कोई वैकलपिक रास्ता विद्यमान नहीं है। वादग्रस्त रास्ता प्रार्थी के खेत में आने जाने हेतू सबसे लघुतम व नजदीकी रास्ता है। इसलिए न्यायहित में वादग्रस्त रास्ता राजस्व रेकर्ड में प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र पेश कर न्यायालय हाजा से प्रार्थी के खेत ख.न. 342 में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 343 की उत्तरी सीमा में से वादग्रस्त रास्ता मार्क अ से ब 20 फुट चोड़ाई में रास्ता घोषित फरमाया जाने व नक्शें में वादग्रस्त रास्ता तरमीम किया जाने एंव अप्रार्थी संख्या एक को पाबंद किया जाने कि वादग्रस्त रास्ता हमेशा खुला रखे एवं वादग्रस्त रास्ता के प्रार्थी के उपयोग उपभोग अप्रार्थी संख्या एक व उसके हितबद्ध लोग किसी प्रकार की बाधा व दखलअंदाजी उत्पन्न नही करे न ही किसी अन्य से करावें का आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

हमने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया, अप्रार्थीगण को समन जारी किये गये । अप्रार्थी सं. 01 की ओर से अधिवक्त अब्दुल सलीम खान ने वकालतनामा पेश किया, बार बार अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब पेश नहीं किये जाने पर जवाब बंद किया गया। अप्रार्थी संख्या 02 को भी बार बार अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब पेश नहीं किया जिस पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

अप्रार्थी संख्या 03 तहसीलदार पीपाड़ शहर द्वारा न्यायालय में मौका कमिश्नर रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसके अनुसार उपस्थित पक्षकारान की मौजुदगी में मौका निरीक्षण किया गया । मौका रिपोर्ट में सलग्न नजरी नक्शा अनुसार मौके प्रार्थी ने अपने खेत सख्या 342 के लिए खसरा संख्या 343 से रास्ते की मांगी की है मार्क **ABCD** जिसकी कुल लम्बाई 44 मीटर चौड़ाई 06 मीटर कुल क्षेत्रफल 264 वर्गमीटर यानि 0.0264 हैक्टेयर है। उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। उक्त प्रस्तावित रास्ते की भूमि के डी.एल.सी. दर की गणना करने पर निम्न अनुसार राशि होना पाया ।

खसरा नम्बर	रकबा	राशि नियमानुसार डीएलसी दर की दुगुनी	कुल देय
343	0.0264 हैक्टयर	162032 **X 2**	8556/–

उपरोक्त प्रस्तावित रास्ते की भूमि डी.एल.सी.दर से गणना कर पालना रिपोर्ट तैयार की गई ।

हमने बहस वकुलाय सुनी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में तहसीलदार पीपाड़ शहर से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 342 में आने जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 01 के खेत खसरा संख्या 343 में से रास्ते दिये जाने के आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

हमने बहस पक्षकारान् सुनी, पत्रावली व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों, एवं तहसीलदार पीपाड़ शहर की मौका कमिश्नर रिपोर्ट का अवलोकन एवं उस पर मनन किया गया जिसके अनुसार ग्राम तिलवासनी के खसरा नम्बर 342 में आने जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 01 के खेत खसरा नम्बर 343 मे से सबसे निकटतम रास्ता मौका फर्द में दर्शाये अनुसार दिया जाना उचित हैं।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान कास्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाता है। ग्राम तिलवासनी के खसरा नम्बर 342 में आने जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 01 के खेत खसरा नम्बर 343 मे से तहसीलदार पीपाड़ शहर से प्रस्तुत कमिश्नर रिपोर्ट में दर्शाये अनुसार कुल क्षेत्रफल 0.0264 हैक्टयर भूमि को रास्ते के उपयोग हेतु घोषित की जाती है । जिसकी वर्तमान डीएलसी दर 162032/– की गणना से कुल मालियत राशि रूपये 4278/– बनती है, रास्ते के काम आयी कुल भूमि 0.0264 हैक्टयर भूमि की मालियत राशि रूपये 4278/– रूपये बनती है। जिसकी नियमानुसार दुगुनी राशि 8556/– रूपये बनती है। प्रार्थी राशि 8556/– रूपये का चैक/डी.डी. अप्रार्थी राजकोष के नाम से तहसीलदार पीपाड़ शहर के समक्ष जमा करावे ।

तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता है कि राशि 8556/– रूपये का चैक/ डी. डी. प्रार्थी से प्राप्त कर अप्रार्थी/राजकोष में जमा करावें एवं रास्ते की भूमि की तरमीम राजस्व नक्शे में करें इस आशय की तहरीर तहसीलदार पीपाड़ शहर के नाम जारी हो । मौका कमिश्नर रिपोर्ट व उसमें संलग्न मौका फर्द एवं नजरी नक्शो को निर्णय का अंग समझा जावें खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें ।

(नेमा राम)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

निर्णय आज दिनांक 17/04/2026 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।